

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 1261
उत्तर देने की तारीख: 11.02.2025

नशामुक्ति केंद्र

1261. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में शराब और नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए चलाए जा रहे नशामुक्ति केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में उक्त व्यसन से पीड़ित कितने व्यक्तियों को भर्ती कराया गया है; और
- (ग) क्या उक्त व्यसन से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को कोई अन्य वित्तीय सहायता या अन्य सहायता दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शराब और नशीली दवाओं की लत से पीड़ित लोगों के लिए संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान इन केन्द्रों से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग): शराब और नशीली दवाओं की लत से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को उपचार की अवधि के दौरान एकीकृत नशा मुक्ति पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) और जिला नशा मुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) में परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों के डिस्चार्ज होने के बाद घर पर जाकर उनके परिवार और बच्चों को भी परामर्श दिया जाता है।

विभाग ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं के संबंध में शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। नवचेतना नवचेतना मॉड्यूल का उद्देश्य नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना और स्कूलों में के बीच जीवन कौशल और नशीली दवाओं के संबंध में शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा माता-पिता और परिवार के लिए नशीली दवाओं के संबंध में शिक्षा सूचना सत्र को बढ़ावा देना है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1261 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

शराब और नशीली दवाओं की लत से पीड़ित लोगों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित नशा मुक्ति केंद्रों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए)	आउटरीच एण्ड ड्राप इन केंद्र (ओडीआईसी)	समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएनआई)	जिला नशामुक्ति केंद्र (जीडीएसी)	राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी (एसएनसीए)	नशामुक्ति उपचार सुविधा (एटीएफ)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	10	4	4	13	1	1	33
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	4	6
4	असम	16	3	3	9	1	3	35
5	बिहार	7	0	0	5	1	2	15
6	चंडीगढ़	0	1	1	0	0	0	2
7	छत्तीसगढ़	2	3	1	0	1	0	7
8	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	1	0	0	1	0	0	2
9	दिल्ली	10	8	5	1	1	6	31
10	गोवा	0	0	0	2	0	2	4
11	गुजरात	7	3	3	3	1	5	22
12	हरियाणा	9	1	1	0	1	18	30
13	हिमाचल प्रदेश	3	0	1	1	1	2	8
14	जम्मू एवं कश्मीर	1	3	2	6	1	21	34
15	झारखंड	1	0	0	5	0	2	8
16	कर्नाटक	33	0	0	3	1	1	38
17	केरल	16	2	2	0	1	3	24
18	लद्दाख	0	0	0	2	0	0	2
19	लडाख	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	14	7	3	10	1	7	42
21	महाराष्ट्र	43	0	0	7	1	4	55
22	मणिपुर	25	6	2	1	1	0	35
23	मेघालय	1	1	0	1	0	1	4
24	मिजोरम	11	2	0	0	1	1	15
25	नागालैंड	6	1	1	4	1	1	14
26	ओडिशा	39	5	4	2	1	0	51
27	पुदुचेरी	2	1	0	0	0	0	3
28	पंजाब	7	2	1	0	0	0	10
29	राजस्थान	17	7	4	7	0	7	42
30	सिक्किम	2	0	0	0	0	1	3
31	तमिलनाडु	25	0	0	7	1	2	35
32	तेलंगाना	10	1	0	3	1	1	16
33	त्रिपुरा	0	2	0	0	0	5	7
34	उत्तर प्रदेश	20	9	5	19	0	22	75
35	उत्तराखंड	4	1	1	1	1	1	9
36	पश्चिम बंगाल	8	1	2	9	1	2	23
	कुल	350	74	46	124	21	125	740

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारंकित प्रश्न संख्या 1261 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन केन्द्रों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2063	6878	19122	22220	49482
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	345	30	5	82
4	असम	13328	15995	26984	26925	45634
5	बिहार	1444	1414	1583	1487	2022
6	चंडीगढ़	0	842	1007	1145	5440
7	छत्तीसगढ़	721	6058	16580	17262	16742
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	165	160	182	187
9	दिल्ली	2238	12993	18549	27010	44454
10	गोवा	0	0	139	629	586
11	गुजरात	1608	1289	2123	2425	18716
12	हरियाणा	3251	5692	7352	6893	6790
13	हिमाचल प्रदेश	657	727	13317	4236	3341
14	जम्मू एवं कश्मीर	247	1509	5372	17018	35639
15	झारखंड	164	170	195	375	807
16	कर्नाटक	7602	7153	7206	7179	7501
17	केरल	4134	4239	4746	10385	12747
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	3498	43993	41467	55519	78159
21	महाराष्ट्र	14195	9273	8630	9453	11973
22	मणिपुर	5075	7974	9026	10313	18920
23	मेघालय	241	297	51	578	1223
24	मिजोरम	1983	1862	2436	3135	9148
25	नागालैंड	1231	1313	1440	1293	2642
26	ओडीशा	7114	24497	28223	32241	39965
27	पुदुचेरी	362	365	499	463	4628
28	पंजाब	2048	10534	10159	11239	11486
29	राजस्थान	4278	10117	24001	28982	52917
30	सिक्किम	231	194	178	389	340
31	तमिलनाडु	4936	3320	3938	3668	15938
32	तेलंगाना	1952	5924	6020	6174	6995
33	त्रिपुरा	0	614	762	416	2115
34	उत्तर प्रदेश	5888	14295	15731	33907	74945
35	उत्तराखंड	1457	1256	4974	5951	6138
36	पश्चिम बंगाल	1418	7118	8099	9037	18465
	कुल	93364	208415	290099	358134	606167
